

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)**अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)****यूआईडी संख्या : UPFS/2023/90108/ARY/AURAIYA/281/CFO****दिनांक : 22-07-2023**

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स **PT. BABU RAM PANDEY ACADEMY** पता **2269,2271,2272,AURAIYA ROAD DIBIYAPUR 206244,AURAIYA** तहसील - **AURAIYA** प्लॉट एरिया **8606.00 sq.mt** (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया **4337.14** (वर्ग मीटर), ब्लॉकों की संख्या - **1** जिसमे -

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
SCHOOL	4	0	14.40 mt.

है। भवन का अधिभोग मेसर्स **PT. BABU RAM PANDEY ACADEMY** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण **मुख्य अग्निशमन अधिकारी** द्वारा दिनांक **23-07-2023** को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **ASHADEV** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्रुगत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **23-07-2023** से **22-07-2026** तक **3** वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मेसर्स **PT. BABU RAM PANDEY ACADEMY** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयवधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स **PT. BABU RAM PANDEY ACADEMY** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।"

Note : शासनादेश संख्या:-18/छ-पु0-8-2022/905(34)/2016टी0सी0 दिनांक: 07.01.2022 के अनुसार सैटबैक की अनिर्वायता एवं तदनुसार उपलब्धता के संबंध में निर्णय संबंधित सत्ताप्राधिकारी द्वारा बिल्लिंग बाईलाज के अनुसार लिया जायेगा। अतः यह अनापत्ति प्रमाण पत्र उपरोक्त शासनादेश के अनुसार सत्ता प्राधिकारी के निर्णयाधीन निर्गत किया जाता है।

**हस्ताक्षर - (डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)****TAJ VIR SINGH**

A6909F677672A127D855A917471B5CCB0468EF56

23-07-2023

निर्गत किये जाने का दिनांक : 23-07-2023
स्थान : AURAIYA

Note:- Kindly check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.